रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149] नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2015/ज्येष्ठ 13, 1937
No. 149] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2015/JYAISTHA 13, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2015

सं. 15/2015–2020(आरई–2015)

विषयः–भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा की सीमा पार सीमा हाट में व्यापार।

फा. सं. 01/93/180/11/ ए एम 12/पी सी –2 (ख)236.–विदेष व्यापार नीति 2015–2020 के पैराग्राफ 2.21 के साथ पठित पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेषक, विदेष व्यापार, भारत और बांग्लादेष की बीच दिनांक 23.10.2010 के समझौता ज्ञापन (एफ ओ यू) के तहत निम्नलिखित प्रबंध करते हैः–

विदेष व्यापार नीति में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, निम्नलिखित वस्तुओं को पिलर सं. 2039 के पास कमलासागर, त्रिपुरा (भारत) और तारापुर कस्बा (बांग्लादेष) में सीमा हाट पर व्यापार करने के लिए अनुमत किया जाएगाः–

(i) स्थानीय रूप से पैदा की गई सब्जियां, खाद्य मदें, फल और मसाले।
(ii) लघु स्थानीय वन्य उत्पाद उदाहरणतया, बांस, बांस की घास और लकड़ी को छोड़कर झाडू।
(iii) स्थानीय कुटीर उद्योग उत्पाद जैसे गमछा, लुंगी आदि।
(iv) स्थानीय रूप से बनाए गए छोटे कृषि घरेलू उपकरण जैसे डाओ, हल, कुल्हाड़ी, फावड़ा, छेनी आदि।
(v) स्थानीय रूप से बनाए गए वस्त्र, मैलेमाइन उत्पाद, संसाधित खाद्य मदें, फ्रूट जूस आदि।

2. उपरोक्त पैरा में 'स्थानीय रूप से पैदा' से तात्पर्य है 'नामित हाट के संबंधित सीमावर्ती जिले के उत्पाद।' मदों की उपरोक्त सूची के तहत आने वाली विषिष्ट वस्तु के लिए स्पष्टीकरण एम ओ यू के प्रचालनात्मक दिषा–निर्देषों के भाग–1 के तहत गठित हाट प्रबंधन समिति द्वारा दिया जाएगा।

3. विक्रेता जिन्हें सीमा हाट पर अपने उत्पाद बेचने के लिए नामित किया गया है, सीमा हाट की अवस्थिति से पांच (5) किलोमीटर की परिधि के अंदर के निवासी होंगे। खरीददार हाट प्रबंधन समिति द्वारा अनुमत किए जाने वाले स्नैक खाद्य/जूस जैसे तत्काल खपत योग्य मदों की पेषकष कर सकते हैं।

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः–

इसमें भारत की कमलासागर, त्रिपुरा और बांग्लादेश की तारापुर कास्बा में दो नई सीमा हाट के माध्यम से दोनों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच दिनांक 23.10.2010 के समझौता ज्ञापन के प्रावधानों को प्रचालित किया जाता है।

प्रवीर कुमार, महानिदेषक, विदेष व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 3rd June, 2015

No. 15/2015-2020 (RE-2015)

Subject: Trade in Border Haats across the border of Tripura between India and Bangladesh

F. No. 01/93/180/11/AM-12/PC-2(B)236.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 read with 2.21 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following arrangements under the Memorandum of Understanding (MOU) dated 23.10.2010 between India and Bangladesh:

In terms of the provisions contained in the Foreign Trade Policy, the following commodities will be allowed to be traded in the Border Haats at Kamalasagar, Tripura (India) & Tarapur Kasba (Bangladesh) near border Pillar No. 2039:

i. Locally produced vegetables, food items, fruits, spices;

ii. Minor local forest produce e.g. bamboo, bamboo grass and broom stick but excluding timber;

iii. Products of local cottage industries like Gamcha, Lungi etc;

iv. Locally produced small agricultural household implements e.g., dao, plough, axe, spade, chisel etc.

v. Locally produced garments, melamine products, processed food items, fruit juice, etc.

2. 'Locally produced' in the above paragraph means 'the produce of the concerned border districts of the designated Haats'. Clarification as to the specific commodity falling under the above list of items will be given by the Haat Management Committee, constituted under Article 1 of the operational guidelines of the MOU.

3. Vendors who are allowed to sell their products in the Border Haats shall be the residents of the area within five (5) km radius from the location of Border Haats. The vendees may offer immediate consumption items of snack foods/juices as may be allowed by the Haat Management Committee.

4. Effect of Public Notice:

It operationalises the provisions of Memorandum of Understanding dated 23.10.2010 between India and Bangladesh by facilitating border trade between the two through two new border Haats at Kamalasagar, Tripura on the Indian side and Tarapur Kasba on Bangladesh side.

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.